

एफ सं. 12011/1/2010-एसएसएस  
भारत सरकार  
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 2 जून, 2010

आदेश

अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ग) नियमावली 2002 के नियम 8 के अनुसार, भारत सरकार ने एक चयन समिति का गठन किया।

2. चूंकि उक्त समिति ने सेवा के प्रारंभिक गठन के समय उक्त सेवा के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-III (5500-175-9000/-रू. के वेतनमान में) के रूप में नियुक्ति एवं अन्तर्लयन के लिए विभागीय उम्मीदवार श्री यू.के.वर्मा (जन्मतिथि 01.07.1957) की उपयुक्तता की जांच की।

3. चूंकि श्री वर्मा के विरुद्ध लंबित कोर्ट केस होने के कारण समिति की सिफारिश को मोहरबंद लिफाफे में रखा गया था। कोर्ट द्वारा श्री वर्मा को पूर्णतया दोष मुक्त किए जाने के मद्देनज़र, मोहरबंद लिफाफे को दिनांक 28.05.2010 को खोला गया था।

4. चूंकि समिति ने सेवा के ग्रेड-III के रूप में नियुक्ति एवं अन्तर्लयन के लिए श्री यू.के.वर्मा की सिफारिश की है।


5. और चूंकि, सक्षम प्राधिकारी ने समिति की सिफारिश स्वीकृत कर ली है।

6. इसलिए, अब, सक्षम प्राधिकारी ने सेवा नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत आदेश दिया है कि श्री यू.के.वर्मा, विभागीय उम्मीदवार को उक्त सेवा के सांख्यिकीय अन्वेषक, ग्रेड-III के रूप में नियुक्त एवं अंतर्लयित कर लिया जाए।

7. यह आदेश सेवा के प्रारंभिक गठन की तिथि अर्थात् 01.04.2004 से लागू होगा।

8. श्री यू.के.वर्मा को रा.प्र.सर्व.सं.,क्षे.सं.प्र., इलाहाबाद में तैनात किया जाता है। सेवा के संबंधित ग्रेड में उनकी आपसी वरिष्ठता के संबंध में आदेश अलग से जारी किया जाएगा।


9. यह आदेश, विभिन्न न्यायालयों में लंबित विषय से संबंधित सभी वर्तमान मामलों के परिणाम के आधार पर जारी किया जाता है।

  
(एस.के.मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि

1. संबंधित पदाधिकारी, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
2. निदेशक (प्रशा.), रा.प्र.सर्व.सं. (क्षे.सं.प्र.) नई दिल्ली।
3. फाइल सं. ईसी-2975
4. नोटिस बोर्ड।
5. मास्टर सेट 2010
6. मंत्रालय की वेबसाइट

  
(एस.के.मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार